न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: रिछपाल सिंह बुरडक, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. अमराराम पुत्र श्री गणेशाराम रेबारी, जाति-रेबारी, C/o किशोर जी माली, निवासी-शिवनगर बोर्ड के पास, सारणेश्वर रोड, शिवगनगर, सिरोही, जिला-सिरोही (मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता)

फर्म:- श्री राम किराणा, सारणेश्वर जी रोड, अमरनगर, सिरोही, जिला- सिरोही

प्रकरण संख्या: 14/2020

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

-: निर्णय :- दिनांक 04 मार्च, 2020

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी के विरुद्ध यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 18.7.2019 को समय 11.30 ए.एम. पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी फर्म श्री राम किराणा स्टोर, सारणेश्वर जी रोड, अमरनगर, सिरोही, जिला-सिरोही पर पंहुचा। वहां पर विक्रेता के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह अमराराम पुत्र श्री गणेशाराम रेबारी, जाति-रेबारी, निवासी- शिवगनर बोर्ड के पास, सारणेश्वर रोड, शिवनगर, सिरोही, जिला-सिरोही है एवं फर्म श्री राम किराणा, सारणेश्वर जी रोड, अमरनगर, सिरोही, जिला-सिरोही पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है, जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ वनस्पति (विजेता ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विकय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ वनस्पति (विजेता ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं दुकान में आलमारी की रैक में बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ वनस्पति (विजेता ब्राण्ड) के 15x500 ML के पैक्ड पैकेटों में से 4x500 ML पैक्ड पैकेट जांच हेतु खरीदे एवं उसकी कीमत राशि रुपये 680/- अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। खरीद रसीद बिल पर खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता व उपस्थित गवाह और मेरे हस्ताक्षर है। फार्म संख्या- 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैने भी अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल पर कोड एवं सीरियल नं. दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने

....पेज दो पर

हस्ताक्षर किये है। तत्पश्चात् चारों नमूना पैकेटों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-982 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाह ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। खाद्य कारोबारकर्ता के द्वारा नमूने के चौथे भाग की जांच NABL ACCREDETED LAB से कराने की जानकारी दी, लेकिन खाद्य कारोबारकर्ता ने इस प्रकार की जांच कराने से मना किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो-दो प्रतियां लिफाफों में अलग बन्द कर गोंद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 19.7.2019 को नमूनें का एक भाग एवं फार्म नंबर 6 का एक सील्ड खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 18.7.2019 को शेष तीन सील बन्द नमूना व फार्म नम्बर- 6 का सील बन्द लिफावा अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ वनस्पति (विजेता ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता से जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ वनस्पति (विजेता ब्राण्ड) का नमूना S-982 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। प्रकरण में अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर प्रतिवादी अभियुक्त द्वारा मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ वनस्पति (विजेता ब्राण्ड) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ वनस्पति (विजेता ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः प्रतिवादी अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

.....पेज तीन पर

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर दिनांक 25.2.2020 को प्रतिवादी अभियुक्त अमराराम ने इस न्यायालय में उपस्थित हुआ एवं लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 18.7.2019 को मेरी फर्म से जिस वनस्पति (विजेता ब्राण्ड) का नमूना जांच हेतु लिया था वो जांच रिपोर्ट के अनुसार मिसब्राण्ड पाया गया है। मेरे पास इसका बिल उपलब्ध नही है। भविष्य में इस बात का ध्यान रखूंगा एवं ऐसे मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थो का बेचान नही करुंगा। मै मेरी गलती स्वीकार करता हूॅं। भविष्य में ऐसी गलती दुबारा नही करुंगा। मै एक छोंटा दुकानदार हूॅं, इसलिये मुझे इस मुकदमें से मुक्त करावे।

(3) प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 03.3.2020 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी अमराराम इस न्यायालय में उपस्थित नही हुये। प्रकरण में प्रतिवादी अमराराम द्वारा उक्तानुसार गलती/जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

(4) पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 18.7.2019 को 11.30 ए.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म श्री राम किराणा, सारणेश्वर जी रोड, अमर नगर, सिरोही, जिला- सिरोही पर गये। वहां उक्त फर्म श्री राम किराणा, सारणेश्वर जी रोड, अमरनगर, सिरोही, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से अमराराम पुत्र श्री गणेशाराम रेबारी, जाति- रेबारी, निवासी- शिवनगर बोर्ड के पास, सारणेश्वर रोड, शिवनगर, सिरोही, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ वनस्पति (विजेता ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म श्री राम किराणा, सारणेश्वर जी रोड, अमर नगर, सिरोही, जिला- सिरोही के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ वनस्पति (विजेता ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता अमराराम को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी तथा दुकान में आलमारी की रैक में बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ वनस्पति (विजेता ब्राण्ड) की 15 पैक्ड पैकेटों (प्रत्येक 500 एम.एल.) में से खाद्य पदार्थ वनस्पति (विजेता ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 एम.एल.) खरीदे एवं उसकी कीमत राशि रुपये 680/- (अक्षरे रुपये छः सौ अस्सी मात्र) अदा कर क्रय करने की रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता अमराराम व उक्त गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित

.....पेज चार पर

अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-982, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर उक्त खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता अमराराम व उक्त गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ वनस्पति (विजेता ब्राण्ड) के चारों नमूना पैकेटो पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग-अलग कागज में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-982 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता अमराराम व उक्त गवाह के हस्ताक्षर करवाये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता अमराराम व उक्त गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय का बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त फर्म श्री राम किराणा, सारणेश्वर जी रोड, अमरनगर, सिरोही, जिला- सिरोही में खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता अमराराम से खाद्य पदार्थ वनस्पति (विजेता ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खाद्य पदार्थ वनस्पति (विजेता ब्राण्ड) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। साथ ही, फार्म नम्बर-6 की दो-दो प्रतियां अलग से लिफावों में रखकर लिफावों को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा दिनांक 19.7.2019 को खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर-6 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 18.7.2019 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ वनस्पति (विजेता ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-982 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./556/Act/2019/610 दिनांक 25.7.2019 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म श्री राम किराणा, सारणेश्वर जी रोड, अमरनगर, सिरोही, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता अमराराम से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ वनस्पति (विजेता ब्राण्ड) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं

.....पेज पांच पर

मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अर्न्तगत मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट दिनांक 25.7.2019 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ वनस्पति (विजेता ब्राण्ड) के पैकिंग लेबल पर FSSAI License नम्बर अंकित किये हुये नही है।

प्रकरण में प्रतिवादी अभियुक्त अमराराम एवं संबंधित निर्माता फर्म श्री शक्ति मिल्क प्रोडक्ट, एच-50, 51, 52 रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, Napasar को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक:एफएसएसए/2019/9725-27 दिनांक 09.8.2019 के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट की प्रति भिजवाकर जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में प्रारुप 8 में अपील आवेदन 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया है, लेकिन संबंधित ने अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी अभियुक्त अमराराम ने प्रकरण की अनुसंधान के दौरान आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त खाद्य पदार्थ वनस्पति (विजेता ब्राण्ड) की खरीद का बिल प्रस्तुत नही किया है एवं न ही इस न्यायालय में ऐसा कोई बिल प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में, उक्त मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ वनस्पति (विजेता ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी अभियुक्त अमराराम ही उत्तरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत प्रतिवादी अमराराम पुत्र गणेशाराम रेबारी, निवासी- शिवनगर बोर्ड के पास, सारणेश्वर रोड, शिव नगर, सिरोही, जिला- सिरोही, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, फर्म श्री राम किराणा, सारणेश्वर जी रोड, अमरनगर, सिरोही, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 15,000/- (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी अमराराम पुत्र गणेशाराम रेबारी, निवासी- शिवगनर बोर्ड के पास, सारणेश्वर रोड, शिवनगर, सिरोही, जिला- सिरोही को आदेशित को किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्टेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2020.03.20 10:45:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: